बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं0 :–3/अ०प्र०–1–91/2013 1668 /पटना, दिनांक :– 1-8-23

श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित मामले में दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–06/13 दिनांक 19.02.2013 धारा 13(2)–सह–पठित धारा 13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0–1988 के आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–674 सह–पठित ज्ञापांक–675 दिनांक–28.02.2020 द्वारा सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. श्री कुमार द्वारा अपने विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवं उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध CWJC No.– 21367/2019 एवं I.A.No. 3/2020 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–29.10.2021 को पारित न्यायादेश का Operative आदेश निम्नवत्त है :–

"19. For the aforesaid reasons, the impugned notification dated 28.02.2020 needs interference. Accordingly, the impugned notification No. 674 dated 28.02.2020 imposing punishment of dismissal from service is hereby set aside. Consequence of setting aside of the impugned order shall follow. Accordingly, the petitioner shall be required to be reinstated forthwith. Since, in the Court's opinion, because of lack of evidence none of the charges framed against the petitioner can be said to have been proved in the departmental proceeding based on which the impugned order has been passed, it is directed that the petitioner shall be entitled to back wages for the period during which he remained out of service by virtue of an illegal order of dismissal. The Court is of the opinion that the entire departmental proceeding has been conducted casually, without making any effort to establish the allegation against the petitioner. In such circumstance, the Court is directing for payment of full wages.

20. The respondents shall, however, be at liberty to resort to the provision under Rule 18(1) of the BGS(CCA) Rules. It also goes without saying that the respondents shall be at liberty to take appropriate action against the petitioner depending upon the outcome of the criminal case registered against him.

21. Further, the enquiring authority has recorded in his opinion that there was requirement of seeking permission from the department before purchase of movable/immovable property, which the petitioner had not complied. The said finding has been held to be irrelevant in the present judgment as the there was no such charge framed the petitioner. It is made clear that this Court has not recorded any finding on the point as to whether there was such requirement of seeking permission and whether the petitioner had sought for such permission or not. It will

be open for the department to examine this aspect of the matter and proceed in accordance with law by framing definite charge in this regard, if so advised.

22. This application is allowed with aforesaid direction and observation.

23. There shall, however, be no order as to costs."

3. उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–1419 दिनांक–29.08.2022 द्वारा बर्खास्तगी आदेश दिनांक–28.02.2020 को निरस्त करते हुए श्री कुमार को कार्यपालक अभियंता के पद पर पुनर्स्थापित किया गया तथा परिणामी लाभ के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही श्री कुमार के विरूद्ध प्रश्नगत मामले में नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

4. उक्त के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध नये सिरे से आरोप पत्र गठित किया गया। साथ ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 की उप कंडिका–5 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं0–364 दिनांक–21.02.2023 द्वारा निलंबित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–658 दिनांक–31.03.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक–1193 दिनांक–12.05.2023 द्वारा स्मारित भी किया गया। श्री कुमार का स्पष्टीकरण सम्प्रति अप्राप्त है।

5. श्री मिथिलेश कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति निलंबित द्वारा निलंबन से मुक्त करने के संबंध में अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0जे0सी0 सं0–47/2022 में दिनांक–26.04.2023 को पारित न्यायादेश में आदेशित किया गया है कि "The Petitioner shall, however, be at liberty to approach the appropriate forum if any decision has been taken while complying with the said order adverse to his interest by challenging the said decision in accordance with law"

उक्त आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के निष्पादन में प्रक्रियात्मक विलंब को देखते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा उन्हें तत्काल निलंबन से मुक्त करते हुए पदस्थापन एवं निलंबन अवधि के बकाया वेतन के भुगतान का आदेश दिया गया है।

6. अतः श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है एवं निलंबन मुक्त होने के उपरान्त श्री कुमार विभाग में योगदान समर्पित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/8/23

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

(SF) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–91/2013 1669 /पटना/दिनांकः– 1.8.23

प्रतिलिपि :–महालेखाकार(ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांकः–3/अ०प्र०–1–91/2013 1669 /पटना/दिनांकः– 1.8.23

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,सहरसा/सीवान/दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 (पदस्थापन के संबंध में प्राप्त आदेश फलक की छायाप्रति संलग्न) एवं प्रशाखा–12 (निलंबन अवधि के बकाये वेतन के भुगतान के संबंध में प्राप्त आदेश फलक की छायाप्रति संलग्न), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति निलंबित, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–91/2013 1669 /पटना/दिनांकः– 1.8.23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

1/8/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–91/2013 1669 /पटना/दिनांकः– 1.8.23

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/8/2023
विशेष सचिव

(SF) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in